लघु उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 87

लघु उद्योग मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		326.49	51.07	377.56	326.49	51.07	377.56	347.25	52.15	399.40
पूंजी		*20.00*	*...*	*20.00*	*20.00*	*...*	*20.00*	*15.00*	*...*	*15.00*
जोड़		**346.49**	**51.07**	**397.56**	**346.49**	**51.07**	**397.56**	**362.25**	**52.15**	**414.40**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	4.50	4.50	...	4.50	4.50	...	4.91	4.91
लघु उद्योग										
2. लघु उद्योग (लाइब्रेरी सहित) विकास आयुक्त	2851	5.53	8.17	13.70	5.53	8.17	13.70	5.69	8.50	14.19
3. लघु उद्योगों के विकास के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को अनुदान	2851	18.00	1.40	19.40	18.00	1.40	19.40	22.50	1.40	23.90
4. लघु उद्योग स्कीमों का	2851	87.98	37.00	124.98	75.64	37.00	112.64	94.25	37.34	131.59
संवर्धन	3601	4.38	...	4.38	4.38	...	4.38	3.45	...	3.45
	3602	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.20	...	0.20
	जोड़	*92.66*	*37.00*	*129.66*	*80.32*	*37.00*	*117.32*	*97.90*	*37.34*	*135.24*
5. सरकारी उद्यमों में निवेश - एन.एस.आई.सी.	4851	18.00	...	18.00	18.00	...	18.00	13.50	...	13.50
6. अन्य स्कीमें	2851	4.50	...	4.50	3.20	...	3.20	9.25	...	9.25
7. ऋण गारंटी स्कीम	2851	172.80	...	172.80	186.44	...	186.44	176.29	...	176.29
8. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के	2552	33.00	...	33.00	33.00	...	33.00	35.62	...	35.62
हित की परियोजनाओं/योजनाओं	4552	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	1.50	...	1.50
के लिए एकमुश्त प्रावधान	*जोड़*	*35.00*	*...*	*35.00*	*35.00*	*...*	*35.00*	*37.12*	*...*	*37.12*
कुल जोड़		***346.49***	***51.07***	***397.56***	***346.49***	***51.07***	***397.56***	***362.25***	***52.15***	***414.40***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
5.01 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	12851	18.00	50.00	68.00	18.00	50.00	68.00	13.50	62.00	75.50
ग. आयोजना परिव्यय*										
1. ग्राम और लघु उद्योग	12851	315.00	50.00	365.00	315.48	50.00	365.48	328.88	62.00	390.88
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	35.00	...	35.00	35.00	...	35.00	37.12	...	37.12
जोड़		**350.00**	**50.00**	**400.00**	**350.48**	**50.00**	**400.48**	**366.00**	**62.00**	**428.00**

** इसके अंतर्गत शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की मांगों में प्रदत्त निर्माण कार्य परिव्यय शामिल है।*

मांग संख्या 101	12851	3.51	...	3.51	3.99	...	3.99	3.75	...	3.75

1. **सचिवालय आर्थिक सेवाएं:** इसमें लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के लिए कार्यालय संबद्ध व्यय की व्यवस्था है।

2. **विकास आयुक्त (पुस्तकालय सहित)** : विकास आयुक्त का कार्यालय जिसके प्रधान विकास आयुक्त हैं, देश में लघु उद्योगों के संवर्धन और विकास की नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण, समन्वयन और अनुवीक्षण करने के लिए एक शीर्षस्थ निकाय है। यह लघु उद्योगों के विकास से संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों, योजना आयोग, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों और अन्य संगठनों से निकट सम्पर्क बनाए रखता है।

यह विशिष्ट प्रकार के उद्योगों के संकेन्द्रण वाले क्षेत्रों में 30 लघु उद्योग सेवा संस्थाओं, 28 छोटी उद्योग सेवा संस्थाओं, 4 प्रादेशिक परीक्षण केन्द्रों, 1 उत्पादन केन्द्र, 7 क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्रों, निलोखेड़ी और एच.टी.डी. एण्ड टी.सी., नागपुर के नेटवर्क के माध्यम से लघु उद्योग इकाईयों को व्यापक रूप में सुविधाएं और सेवाएं, यंत्रों की सुविधा, विपणन सहायता आदि प्रदान करता है।

3. **लघु उद्योगों के विकास के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड को अनुदान**: एन.एस.आई.सी., किराया-खरीद पर मशीनों की आपूर्ति, बाजार संवर्धन, स्वदेशी और आयातित दोनों प्रकार की कच्ची सामग्री की व्यवस्था, प्रौटोटाइप विकास और टर्न-की परियोजनाओं के निर्यात के लिए सामान्य सुविधाओं के माध्यम से लघु उद्योगों के विकास और संवर्धन के लिए उत्तरदायी है।

4. **अन्य लघु उद्योग योजनाएं :** यह मुख्य रूप से केन्द्रीय यंत्र डिजाइन संस्थान, हैदराबाद, भुवनेश्वर और कोलकाता स्थित केन्द्रीय औजार कक्ष और प्रशिक्षण केन्द्रों, लुधियाना स्थित केन्द्रीय औजार कक्ष, केन्द्रीय हस्त औजार संस्थान, जालंधर, इंदौर औरंगाबाद और अहमदाबाद स्थित 3 भारत-डैनिश औजार कक्ष, जमशेदपुर स्थित भारत डैनिश औजार कक्ष जैसे विशेष रूप से केन्द्रित संस्थानों के लिए व्यय प्रदान करता है। यह इलेक्ट्रिक मापन उपकरण डिजाइन संस्थान (आईडीईएमआई), मुम्बई और इलेक्ट्रिक सेवा एवं प्रशिक्षण केन्द्र, रामनगर (उ.प्र.), आगरा और चेन्नई स्थित केन्द्रीय फूटवियर प्रशिक्षण संस्थान, आगरा और मेरठ स्थित पीपीडीसी, फ्राग्रन्ज एवं फ्लावर डेवलपमेन्ट सेंटर, कन्नौज और सेंटर फॉर डवलपमेंट ऑफ ग्लास इण्डस्ट्री,

फिरोजाबाद जो तत्संबंधी विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है, के लिए भी व्यय प्रदान करताहै। यह एकीकृत आधार ढांचा विकास, सांख्यिकी संग्रहण, सेनेट परियोजना आदि जैसी सतत स्कीमों के लिए भी व्यय प्रदान करता है।

इसके अलावा यह उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने, निर्यात संभाव्यता बढ़ाने, प्रक्रिया संशोधन करने, ऊर्जा संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण आदि के लिए लघु उद्योगों की गुणवत्ता उन्नयन एवं आधुनिकीकरण पर विभिन्न योजनाओं के लिए व्यय प्रदान करता है। आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन के तहत कार्यान्वित की गयी विभिन्न योजनाएं (i) आईएसओ-9000 प्रमाणन उपर्जित करने के लिए प्रारंभिक योजना, (ii) आईएसओ-9000 पर बोध एवं उत्प्रेरक कार्यक्रम (iii) एनपीआरआई सहित यूपीटीईसीएच योजना और (iv) सिडो (एसआईडीओ) कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण, (v) एसएमएस की प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए ऋण योजित सब्सिडी आदि है।

5. **सरकारी उद्यमों में निवेशः** इसमें सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को उनके कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए वित्त साधनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इक्विटी और ऋणों के लिए प्रावधान है।

5.01 **राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन.एस.आई.सी.)**ः राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना 1955 में कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत की गई थी। इसके कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ किराया खरीद आधार पर लघु उद्योग यूनिटों के आयातित और स्वदेशी मशीनों की आपूर्ति करना, कच्चे माल और पुर्जों की आपूर्ति और वितरण, आंतरिक बाजार और विदेशी बाजार प्रौद्योगिकियों का उन्नयन और तकनीकी प्रशिक्षण तथा सामान्य सुविधाएं प्रदान करना है। अनुदान के माध्यम से बजटीय सहायता उनके कार्यों और सेवाओं जो अधिकांशतः संवर्धनशील प्रकृति की हैं, के आंशिक वित्तपोषण तथा पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों में इनके कार्यों और सेवाओं को जारी रखने हेतु वैकल्पिक वित्त प्राप्त करने के लिए है।

6. **अन्य स्कीमें**ः इसमें व्यापार और निवेश संबंधों के संवर्धन हेतु बृहत संस्थागत सहायता के लिए भारतीय उद्यमों और विदेशी एस.एम.ई. के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के संवर्धन के लिए; लघु उद्योग का सर्वेक्षण तथा अध्ययन; ग्राम तथा ग्रामीण उद्योग क्षेत्र; महिलाओं के लिए व्यापार संबंधी उद्यम सहायता विकास कार्यक्रम है।

7. **लघु उद्योग क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना**ः इसमें भारतीय ऋण गारंटी निधि स्कीम (सी.जी.एफ. एस.टी.) को योगदान की व्यवस्था है जो बिना संपार्श्विक गांरटी वाली लघु/छोटे एस.एस.आई. इकाइयों को ऋण देने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को गारंटी कवर प्रदान करेगा।

8. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान रखा गया है।

Website: http://indiabudget.nic.in